



सत्यमेव जयते

## भारत सरकार

कार्यालय, आयकर आयुक्त,  
जयपुर-प्रथम, जयपुर

आदेश संख्या : आ0आ0/जय-1/आ0आ0(त0 एवं न्या)/12 अ (अ)/2012-13/ 1105 दिनांक- 30/11/12

विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 अ (अ) के अधीन न्यास/संस्थाओं का पंजीकरण-


UNNAYAN SAMITI,  
44, VARDHMAN NAGAR EXTN., 200 FEET BY-PASS,  
AJMER ROAD, HEERA PURA,  
JAIPUR-24

(PAN- AAAAU4492P)

जो दिनांक 04.06.2007 को न्यास विलेख/मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन द्वारा गठित हैं, दिनांक 11.06.2012 पत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 अ (अ) के अधीन पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। निम्नांकित शर्तों पर संस्थान को धारा 12 अ (अ) के अधीन पंजीकरण किया जाता है। किसी शर्त की अवज्ञा दुरुपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएं दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

- 1) पंजीकरण दिनांक 01.04.2012 से माना जावेगा।
- 2) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के तहत पुण्यार्थ उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ अन्य लोक उपयोगिता के क्रियाकलापों की प्रगति शामिल है। इसके आवेदन को ध्यान में रखें बिना, दिनांक 01.04.2009 से किसी अन्य लोक उपयोगिता की प्रगति पुण्यार्थ उद्देश्यों में शामिल नहीं की जाएगी यदि इसमें कोई ऐसा क्रियाकलाप सम्मिलित है जो कारोबार की प्रकृति का है, व प्राप्तियाँ रु 10 लाख से अधिक है।
- 3) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4A) के तहत आप स्वैच्छिक विवरणी विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर दाखिल करें।
- 4) प्रार्थना पत्र की धारा 12 अ (अ) के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में संख्या 105/11 न्यास/संस्था में दर्ज कर लिया गया है।



  
( वी. एस. कोठारी )  
आयकर आयुक्त, जयपुर प्रथम  
जयपुर

प्रतिलिपि-

1. UNNAYAN SAMITI, HEERA PURA, JAIPUR।
2. अपर आयकर आयुक्त, खण्ड- प्रथम, जयपुर।
3. सहायक आयकर आयुक्त, सर्किल-1, जयपुर।

  
( बी.एम.तॉवर )  
आयकर अधिकारी( त0 एवं न्या0 )  
कृते आयकर आयुक्त, जयपुर प्रथम,  
जयपुर